

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा—मा/सी—7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2019 दिनांक—29.09.2019 के तहत श्री भैंवर लाल मीना, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, अमरवासी (भीलवाड़ा) का स्थानान्तरण गोविन्द गुरु राउमावि, आनन्दपुरी—बागीदोरा, बांसवाड़ा किया गया। श्री भैंवर लाल मीना ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या—4098/2019 श्री भैंवर लाल मीना बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या—4098/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक—16.12.19 द्वारा अपीलार्थी श्री भैंवर लाल मीना को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी चेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री भैंवर लाल मीना द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रथानान्तरित स्थान 600 किमी दूर होने, वहाँ की भाषा बोली पृथक होने, माताजी वृद्ध व बीमार होने के कारण अपना पदस्थापन 1—राउमावि, अमरवासी—जहाजपुर, भीलवाड़ा, 2—राउमावि, उँचा—जहाजपुर, भीलवाड़ा 3—राउमावि, कुँचलवाड़ा कला—जहाजपुर, भीलवाड़ा में करने हेतु परिवेदन प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा रथानान्तरण के रांबंध में जारी दिशा—निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विध्वा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि गुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित रथान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर दिनांक—19.10.2019 को कार्यग्रहण भी कर लिया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी—7/हिन्दी/स्था.को.के./भैंवर लाल मीना/4098/2019/8 दिनांक—27/01/2020

> प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बांसवाड़ा।
5. जि.शि.आ. (माध्य—विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिर्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रधानाचार्य, राउमावि, अमरवासी (भीलवाड़ा)/गोविन्द गुरु राउमावि, आनन्दपुरी—बागीदोरा, बांसवाड़ा
9. कार्मिक श्री भैंवर लाल मीना, व्या० हिन्दी, गोविन्द गुरु राउमावि, आनन्दपुरी—बागीदोरा, बांसवाड़ा
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त—निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर